न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

A/9

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या 2/2014

अपीलान्ट

1.गोपालराम पुत्र श्री चन्द्राराम जाति बावरी उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम राजपुरा तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

1.सरपंच ग्राम पंचायत परेवड़ी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।

2.सचिव, ग्राम पंचायत परेवड़ी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।

3.पटवारी, पटवारी हल्का परेवड़ी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।

4.डालूराम पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर, राजस्थान।

5.प्रकाशचन्द पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर, राजस्थान।

6.सोहनलाल पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 5.9.2011 ग्राम पंचायत परेवड़ी अन्तर्गत धारा 75 (D) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील अपीलान्ट:– श्री मुश्ताक खां
वकील रेस्पोडेन्ट:– श्री माणकचन्द

निर्णय

दिनांक :– 9/7/17

अपीलान्ट की अपील का संक्षिप्त में विवरण निम्न प्रकार है:–

ग्राम राजपुरा के खसरा नम्बर 273, 270, 134 चले आ रहे है। ग्राम राजपुरा के खसरा नम्बर 273 में से 0.24 है0 का रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के द्वारा रजिस्टर्ड बेचान अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 30.6.2011 को किया हुआ है, तब से 0.24 है0 पर अपीलान्ट का कब्जा हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

A2/10

अपीलान्ट जाति बावरी अनुसूचित जाति का है। नामान्तकरण हेतु पटवारी को फोटो प्रति दी गई थी। पटवारी द्वारा नामान्तकरण नही भरा। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने मिलीभगत कर खातेदारी का फायदा उठाते हुये खसरा संख्या 270, 273 , 134 के जरिये रजिस्टर्ड अपने हक हिस्से का बक्शीशनामा अपने दोनो पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के नाम दिनांक 01.09.2011 को करा दिया एवं उसी के आधार पर नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 05.09.2011 को स्वीकृत कर दिया गया। अपीलान्ट की आराजी का नामान्तकरण नही हुआ है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट के पक्ष में ग्राम राजपुरा के खसरा संख्या 273 में से 0.24 है0 भूमि रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 30.06.2011 खरीदी थी, जिसका नामान्तकरण होना चाहिए था। इसलिए नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 05.09.2011 स्वीकृत करने की कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के पक्ष में भरा गया नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 05.09.2011 निरस्तनीय होने से खारिज फरमावे तथा अपीलान्ट के द्वारा खरीदी गयी आराजी खसरा संख्या 273 में से 0.24 है0 भूमि का नामान्तकरण स्वीकृत करने के आदेश सम्बन्धित अधिकारी को फरमावे।

पत्रावली केम्प कोर्ट शिव में पेश हुयी। वकील अपीलान्ट केम्प शिव में उपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट गैर हाजिर। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट स्वयं हाजिर। वकील अपीलान्ट ने बहस सुनायी। बहस सुनी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को सुना। सरपंच ग्राम पंचायत परेवड़ी व सचिव ग्राम पंचायत परेवड़ी एवं ग्राम पंचायत परेवड़ी के मौजीज व्यक्ति केम्प कोर्ट शिव में उपस्थित से पूछताछ करने पर वकील अपीलान्ट एवं उक्त मौतपरान्त ने बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपीलान्ट के नाम रजिस्ट्री बेचान पंजीयन करायी। रजिस्ट्री के आधार पर म्यूटेशन नही खुलने पर जमीन की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम ही रहने पर एवं इस बीच अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के बीच में मनमुटाव मुकदमा बाजी आदि होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने खातेदारी का फायदा उठाते हुये उक्त विवादित भूमि का बक्शीशनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 यानि अपने पुत्रो के नाम पंजीयन करा दिया। उक्त बक्शीशनामा का पंजीयन के आधार पर नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 05.09. 2011 को स्वीकृत हुआ, जिसमें अपीलान्ट को बेचान की हुयी भूमि भी शामिल हो गयी। इसलिए उक्त नामन्तकरण सख्या गलत हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने पहले अपीलान्ट के नाम दिनांक 30.06.2011 को बेचान कर दिया था। उसका नामान्तकरण पटवारी की गलती से नही होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने खातेदारी का फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के नाम बक्शीश कर दी और उसका नामान्तकरण 142 हो गया, अपीलान्ट द्वारा खरीदी गयी जमीन का उसके बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के द्वारा पुनः बेचान करना एवं उसका नामान्तकरण भरना स्वतः ही शून्य है। गलत है, खारिज फरमावे तथा अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण खुलवाने के आदेश फरमावे।

वकील अपीलान्ट, अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व उपस्थित सरपंच, सचिव ग्राम पंचायत, पटवारी को सुना एवं पटवारी के रिकॉर्ड व अपील के संलग्न दस्तावेजातो का अवलोकन करने से रेस्पोडेन्ट द्वारा बेचान किया की प्रति एवं बक्शीश किया की प्रति जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने स्वीकार किया है, आदि के विवेचन से न्यायालय का मत है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपीलान्ट को खसरा संख्या 273 से 0.24 है0 बेचान किया है, का अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

A7/11

नही होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने खातेदारी का फायदा उठाते हुये अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का अपने दोनो पुत्रों के नाम बक्शीश कर दिया। बक्शीश के आधार पर नामान्तकरण खुल गया एवं अपीलान्ट अपनी भूमि से वंचित रह गया। इसलिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 142 के बारे में निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम राजपुरा के खसरा नम्बर 273, 274 ,134 के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत परेवड़ी द्वारा स्वीकृत संख्या 142 दिनांक 05.09.2011 को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार कुचामन सिटी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा खसरा संख्या 273 में से 0.24 है0 भूमि जरिये बेचान खरीद की गई है, का नामान्तकरण स्वीकृत किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 5/11/15 को कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत शिव में सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत शिव